For General & Prescribed Reserved Category

CONSTRUCTING GREENER TOMORROW

Yamuna Expressway Industrial Development Authority
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश सरकार की

समाजवादी आवास योजना

के अन्तर्गत भवन पाने का स्वर्णिम अवसर

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अधीन

बहुमंजिले भवनों की योजना

योजना कोड संख्याः बी.एच.एस–06/2015

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेसवे
औद्योगिक विकास प्राधिकरण

समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटन की नियम एवं शर्तें

सेक्टर–22

महत्वपूर्ण तिथियाँ

योजना प्रारम्भ की तिथि : 27 / 03 / 2015

आवेदन की अन्तिम तिथि : 30 / 04 / 2015

आवंटन ड्रा

के आधार पर

सितम्बर, 2015 में संभावित

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(ए) योजना विवरण
योजना का नाम : समाजवादी आवास योजना
योजना कोड संख्या : बी.एच.एस.– 06/2015
बहुमंजिले भवनों के आवंटन हेतु नियम व शर्तें (भूतल व तीन तल)

ए.1 फ्लैटों का विवरण

योजना कोड	सैक्टर का नाम	भवनों की संख्या सम्भावित	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	भवनों का सम्भावित मूल्य (₹ लाख में)		पंजीकरण राशि (₹ लाख में)
				भूतल	प्रथम/द्वितीय/त तीय तल	
बी.एच.एस.–06/2015	22	430	29.76	11.62	10.49	1.00

मूल बिक्री मूल्य

1.1. आवंटन के समय चार मंजिले निर्मित भवनों की संख्या बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है।

1.2. ब्रोशर में दी गयी कीमत/लागत अन्तिम है और फ्लैट्स का कब्जा प्राप्त करते समय परिवर्तित हो सकती है। यह परिवर्तन फ्लैट्स के निर्माण और विकास या प्राधिकरण, अदालत या राज्य सरकार द्वारा भूमि मुआवजा/अधिग्रहण राशि/अनुग्रह राशि में किसी भी प्रकार की वृद्धि के कारण हो सकता है। पट्टेदार/आवंटी को प्राधिकरण द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व इस प्रकार की किसी भी वृद्धि का भुगतान करने की सहमति और अनुपातित साझेदारी का आश्वासन देना होगा।

1.3 यदि सेवा कर की कोई देयता है तो उसे आवंटी को वहन करना होगा।

1.4 77.5 प्रतिशत चार मंजिले फ्लैट सामान्य श्रेणियों के लिए होंगे तथा अवशेष 22.5 प्रतिशत फ्लैट आरक्षित श्रेणी में होंगे।

ए.2 निर्धारित आरक्षित श्रेणियाँ :

क्र.सं.	आरक्षित श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1.	कृषक, जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास के लिये अधिग्रहित की गयी है।	17.5 प्रतिशत
2.	यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित क्रियाशील संस्थागत इकाईयां।	5 प्रतिशत
	कुल आरक्षण	**22.5 प्रतिशत**

नोट :

1. संस्थागत कार्यात्मक ईकाईयों/प्रतिष्ठानों और कृषक जिनकी भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गयी है, उसके लिये आरक्षित फ्लैटों में से 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को भी बहुमंजिला फ्लैट में आरक्षण मिलेगा।
2. विकलांगजन के लिये निःशक्त जन अधिनियम 1995 की धारा 43 के अंतर्गत और बोर्ड कीं 49वीं बैठक दिनांक 12.02.2014 के निर्णयानुसार कुल 3 प्रतिशत हौरीजोण्टल आरक्षण, ऊपर बताई गई आरक्षित श्रेणियों तथा अनारक्षित श्रेणी (सामान्य) के लिए अनुमान्य होगा।
3. उक्त श्रेणियों के विकलांग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी, अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
4. यदि ड्रा के समय किसी भी आरक्षित क्षेणी के आवेदनों की संख्या, फ्लैटों की संख्या से कम प्राप्त होते हैं तो शेष आरक्षित बचे हुए फ्लैटों को सामान्य श्रेणी में हस्तानांतरित कर दिए जायेंगे।

बी ग्राह्यता

बी–1 सामान्य श्रेणी

1.1. आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबंध के लिए सक्षम हो तथा उसने योजना की तिथि 27.03.2015 तक वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो।

1.2. इस श्रेणी में आवेदक अथवा उसके पत्नी/पति के नाम अथवा आश्रित बच्चों के नाम में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कोई भी आवासीय भूखण्ड अथवा फ्री–होल्ड आधार पर अथवा एच.पी.टी.ए. (हायर पर्चेज टेनेंसी एग्रीमेन्ट) लाइसेंस के तहत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किसी पूर्व योजना में आवंटित न किया गया हो।

1.3 आवेदक उनके पति/पत्नी अथवा आश्रित योजना के अन्तर्गत केवल एक ही फ्लैट हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आवेदनकर्ता अथवा उनके पति/पत्नी अथवा आश्रित द्वारा योजना के अन्तर्गत एक से अधिक आवेदन किये गये हैं तो आवेदन/आवंटन निरस्त करते हुये उनके द्वारा जमा की गयी समस्त पंजीयन राशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

बी–2 विहित आरक्षित श्रेणियों की पात्रता

2.1 आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबंध के लिए सक्षम हो तथा उसने योजना की तिथि 27.03.2015 तक वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो।

2.2 केवल ऐसे आवेदक संस्थागत प्रतिष्ठान/संस्थान अथवा उनके प्रबन्ध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक/भागीदार/एकल स्वामी/ट्रस्टी/यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिये अधिग्रहित की गयी भूमि के खातेदार/सह–खातेदार श्रेणी के आवेदक, आवेदन हेतु पात्र होंगे जिनको आवासीय भूखण्ड/फ्लैट प्राधिकरण की किसी भी पूर्व योजना में प्राधिकरण द्वारा आवंटित न किया हो।

बी–3 विशिष्टि श्रेणियों पर लागू पात्रता की विशेष शर्ते

निम्न शर्तों को पूर्ण करने वाली वास्तविक संस्थागत इकाईयां पात्र होंगी :–

3.1. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 28.02.2015 को अथवा इससे पूर्व तक संस्थागत प्लाट / परिसर आवंटित दिया गया हो और कानूनी दस्तावेज के साथ संस्थागत प्लाट / परिसर का भौतिक कब्जा ले लिया हो और जिसे यमुना एक्सप्रेसवे औधोगिक विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के बंद होने की तिथि से पूर्व क्रियाशील घोषित कर दिया गया हो। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ क्रियाशीलता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी ।

3.2. संस्थागत प्लाट / परिसर के आवंटियों द्वारा योजना की बन्द होने की तिथि से पूर्व प्राधिकरण की सभी देयता का भुगतान कर अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा । आवेदक को आवेदन पत्र के साथ अदेयता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।

3.3 यदि शैक्षणिक संस्थान के पक्ष में आवेदन किया जाता है तो उनके निदेशक / ट्रस्टी / कार्यकारी / सदस्य का नाम प्राधिकरण के संस्थान विभाग के रिकॉर्ड में योजना समाप्त होने की अंतिम तिथि तक दर्ज होना अनिवार्य होगा। एक संस्थान द्वारा केवल एक आवेदन किया जा सकेगा।

3.4. ऐसे संस्थान / उनके निदेशक / ट्रस्टी / कार्यकारी सदस्य भूखंड हेतु आवेदन पात्र नहीं होंगे जिन्हें संस्थागत भूखंड अपने पक्ष में अंतरित कराया हो तथा जिन्हें पूर्व में आवासीय भूखंड / फ्लैट आवंटित हो चुका हो ।

3.5. किसी संस्थान के नाम अथवा इसके वैध प्रबंधक निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / ट्रस्टी / कार्यकारी सदस्य के लिये योजना में एक फ्लैट के लिये ही पात्रता होगी। प्राधिकरण द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाएगा कि ऐसी संस्था के नाम प्राधिकरण क्षेत्र में एक से अधिक परिसर आवंटित हैं।

3.6. चैरिटेबल एवं धार्मिक संस्थान और इसके ट्रस्टी / निदेशक / सदस्य / आदि आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे ।

3.7. आवेदक कंपनी को इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा कि कंपनी स्वयं के नाम से अथवा अपने एकल स्वामी / साझीदारी / प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक के नाम से आवेदन कर रही है तथा कंपनी के आवेदन पत्र भरने एवं हस्ताक्षर करने हेतु (नाम, उपनाम) अधिकृत है।

बी–4 पात्र कृषक जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत / क्रय की गयी हो। इस श्रेणी के अंतर्गत विस्तृत पात्रता शर्तें तथा आवंटन प्रकिया का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

4.1 ऐसे कृषक आवेदन के लिए पात्र होंगे जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 28.02.2015 को या उसे पूर्व अधिगृहीत / क्रय की गई हो तथा उस पर प्राधिकरण द्वारा निर्विवाद व अतिक्रमण मुक्त कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो। (ब्रोशर में दिए गए प्रपत्र के अनुसार इस आशय का शपथ–पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग–1 के अनुरूप जमा करना होगा।)

4.2 यदि भूस्वामी अथवा उसके पति / पत्नी / आश्रित बच्चों को प्राधिकरण की किसी योजना में पूर्व में ही फ्लैट / भूखण्ड आवंटित हुआ है तो वह इस आरक्षण योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।

4.3 यदि किसी खाते में एक से अधिक सह–खातेदार हैं, ऐसी दशा में समस्त सह–खातेदार योजना में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। इन समस्त सह खातेदारों के मध्य ड्रा करके एक सफल सह–खातेदार का चयन किया जायेगा एवं उसी सफल सह खातेदार का नाम योजना के ड्रा आफ लॉट्स में सम्मिलित किया जायेगा।

4.4 इस श्रेणी के अंतर्गत, सफल आवेदक / आवंटी आवंटित बहु मंजिला फ्लैट्स को आवंटन तिथि के पांच साल तक हस्तातंरित नहीं कर सकते है ।

4.5 अधिग्रहित भूमि के अलावा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित / क्रय की गयी भूमि पर या अन्य किसी और भूमि जिसके आवंटन के लिए इस योजना में आवेदन पत्र निकाला गया हो पर आवेदक द्वारा अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग–2 के अनुरूप जमा करना होगा जो ब्रोशर में संलग्न है ।

4.6 आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रतिकर बिना किसी आपत्ति के करार / सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया गया हो। आवेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत फार्म–11 सी की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जानी होगी।

4.7 अगर, सत्यापन पर या किसी भी स्तर में यह पाया गया कि ऊपर उल्लिखित शर्तों में से किसी का भी उलंघन हुआ है तो आवेदन पत्र को खारिज कर दिया जायेगा और पंजीकरण का पैसा वापस कर दिया जायेगा ।

सी. आवंटन की प्रक्रिया

1. प्रत्येक पात्र श्रेणी के लिए ड्रा के माध्यम से आवंटन किया जायेगा। सर्व प्रथम ड्रा आवंटन के लिए सफल आवेदकों का चयन करने के लिए किया जायेगा। आवंटी को विशिष्ट फ्लैट संख्या के आवंटन के लिए ड्रा फ्लैट्स की संरचना पूर्ण होने के बाद किया जायेगा।
2. यदि ड्रा के समय आरक्षित क्षेणी के प्राप्त आवेदनों की संख्या, फ्लैट की संख्या से कम पायी गयी तो बचे हुए फ्लैटों को सामान्य श्रेणी में हस्तानांतरित कर दिए जायेंगे।
3. विकलांगजनों को भूतल पर स्थित फ्लैटों का आवंटन किया जाऐगा।

डी. आवेदन कैसे करें

1. आवेदन प्रपत्र रुपये 550 / – के भुगतान के साथ निम्नलिखित में से किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की वेबसाइट– www.yamunaexpresswayauthority.com से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस स्थिति में ब्रोशर के मूल्य के लिये रुपये 550 / – का डिमाण्ड ड्राफ्ट पंजीयन धनराशि के साथ अलग से संलग्न करना अनिवार्य होगा। विधिवत भरे हुए तथा आवश्यक संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित आवेदन पत्र अपेक्षित पंजीयन राशि सहित निम्नलिखित किसी भी बैंक की शाखा में सभी श्रेणी के आवेदकों द्वारा योजना की समाप्ति से पूर्व जमा कराने होंगे। आवेदक अपनी अर्हता अनुसार आवेदन पत्र के साथ पंजीयन धनराशि 'यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण' के नाम से बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर जिसकी देयता नई दिल्ली / नौएडा / ग्रेटर नौएडा पर होगी, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर निम्नलिखित बैंक की शाखाओं में जमा करेंगे।
2. आवेदकों को यह सुविधा उपलब्ध होगी कि वह प्राधिकरण की वेबसाईट – www.yamunaexpresswayauthority.com पर जा कर पैमेंट गेटवे के माध्यम से योजना के अन्तर्गत ऑन लाइन आवेदन कर सकता है तथा पंजीयन धनराशि का भुगतान पैमेंट गेटवे के माध्यम से कर सकता है ।

➢ **आवेदन पत्रों की अधिकृत पावती / रसीद संबधित बैंक द्वारा जारी की जायेगी।**

डी–1 सामान्य श्रेणी, संस्थागत एवं विहित श्रेणियों के लिए निर्धारित बैंक शाखायें :

क्रम सं०	बैंक कोड	बैंक का नाम एवं पता
1	01	ऐक्सिस बैंकः के–21 एवं 22, सैक्टर–18 नोएडा। ऐक्सिस बैंकः 29, सी.सी. बसंत लोक काम्पलेक्स, बसंत विहार, नई दिल्ली।
2	02	इलाहाबाद बैंकः मंदिर मस्जिद मार्ग, सैक्टर–31 नोएडा। इलाहाबाद बैकः हजरतगंज, पोस्ट बॉक्स–09, लखनऊ।
3	03	बैंक ऑफ बड़ौदाः प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लाक–पी–2, सैक्टर ओमेगा–1, ग्रेटर नोएडा। बैंक ऑफ बड़ौदाः सैक्टर–गामा–2, ग्रेटर नोएडा। बैंक ऑफ बड़ौदाः लतूस रोड ब्रांच, 77 / 151, नॉवल्टी काम्पलेक्स, लतूस रोड, कानपुर।
4	04	केनरा बैंकः जगत फॉर्म, सैक्टर–गामा–1, ग्रेटर नोएडा।
5	05	फेडरल बैंकः सैक्टर–22, नोएडा।
6	06	एच.डी.एफ.सी. बैंकः सी–1, अल्फा प्लाजा, अल्फा कामर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नोएडा। एच.डी.एफ.सी. बैंकः जी–28 / 29 प्रथम तल, सैक्टर–18, नोएडा। एच.डी.एफ.सी. बैंकः ए–24, हौज खास, नई दिल्ली–110016। एच.डी.एफ.सी. बैंकः 15 / 63, कृष्णा टावर, भूतल, सिविल लाईन्स, कानपुर। एच.डी.एफ.सी. बैंकः शॉप नं0 3 / 4 / 11, भूतल ब्लॉक नं0 17 / 2 / 4, फ्रेंडस प्लाजा, संजय पैलेस, आगरा। एच.डी.एफ.सी. बैंकः 3 / 316, भल्ला कॉम्पलेक्स, निकट देवत्रय अस्पताल, रामघाट रोड, अलीगढ़। एच.डी.एफ.सी. बैंकः 169 / 2, गौशाला रोड, भूटेश्वर रोड बाई पास रोड, मथुरा।
7	07	आईएनजी वैश्य बैंकः अंसल ऑरकेड, सैक्टर–18 नोएडा। आईएनजी वैश्य बैंकः साहा नजफ रोड, लखनऊ।
8	08	इंडियन बैंकः जगत फॉर्म, सैक्टर–गामा–1, ग्रेटर नौएडा। इंडियन बैंकः सैक्टर–50 नोएडा।
9	09	इन्डसइन्ड बैंकः गोपाल दास भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। इन्डसइन्ड बैंकः सैक्टर–18, नोएडा।
10	10	आईसीआईसीआई बैंकः पी–2, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, सैक्टर–ओमेगा–1, ग्रेटर नोएडा। आईसीआईसीआई बैंकः के–1, सीनियर मॉल, सैक्टर–18, नोएडा। आईसीआईसीआई बैंकः 9ए, फेल्पस बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
11	11	कोटेक महिन्द्रा बैंक लि0ः हर्श मॉल, शॉप नं0 3, 4 अल्फा–1, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ग्रेटर नोएडा। कोटेक महिन्द्रा बैंक लि0ः सैक्टर–18, नोएडा।
12	12	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्सः जगत फॉर्म, सैक्टर–गामा–1, ग्रेटर नोएडा। ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्सः सैक्टर–20, नोएडा।
13	13	पंजाब नेशनल बैंकः जे.एस.एस., अकेडेमी, सैक्टर–62, नोएडा। पंजाब नेशनल बैंकः सैक्टर–104, नोएडा। पंजाब नेशनल बैंकः सैक्टर–18, नोएडा।
14	14	पंजाब नेशनल बैंकः डी–1 / 1, राणा प्रताप बाग, नई दिल्ली।
15	15	पंजाब नेशनल बैंकः गुरूद्वारा, करोल बाग, नई दिल्ली।
15	16	भारतीय स्टेट बैंकः लेजरस्ट्रोमिया शॉपिंग कॉम्पलेक्स, इंस्टीट्यूशनल एरिया, ग्रेटर नोएडा।
17	17	भारतीय स्टेट बैंक ऑफ पटियालाः बी–2 / 3, गामा शॉपिंग कॉम्पलेक्स, ग्रेटर नोएडा।
18	18	यूनियन बैंक ऑफ इंडियाः सैक्टर–12, नोएडा।

डी–2 किसान श्रेणी का बैंक :–

क्रम सं	बैंक कोड	बैंक का नाम एवं पता
1	01	एच.डी.एफ.सी. बैंक, अल्फा कॉमर्शियल बैल्ट, ग्रेटर नोएडा

ई. भुगतान योजना

ई–1 ब्याज सहित दस वर्षीय किश्त योजना

- योजना में दिये गये फ्लैटों की निर्धारित कुल धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि (पंजीयन राशि समायोजन के उपरान्त) आवंटन तिथि से 45 दिन के अन्दर आवंटन राशि के रूप में देय होगी। शेष 70 प्रतिशत धनराशि 20 छःमाही बराबर (12 प्रतिशत ब्याज सहित रिडयूसिंग प्रिन्सीपल अमाउन्ट प्रत्येक छःमाही) किश्तों में देय होगा। किश्तों की गणना आवंटन तिथि के 46वें दिन से की जायेगी।

नोट :–

- इस प्रपत्र के संदर्भ में आवंटन पत्र जारी होने की तिथि को आवंटन तिथि माना जायेगा।
- इस प्रपत्र के संदर्भ में लीज डीड निष्पादन की तिथि को ही कब्जा प्राप्त करने की तिथि माना जायेगा।

एफ. भुगतान विधि :

1. सभी भुगतानों को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में डिमाण्ड ड्रा / पे– आर्डर जो नोएडा / ग्रेटर नोएडा पर दे हों, के रूप में किये जा सकते हैं। आवंटन पत्र में वर्णित अधिकृत बैंक शाखाओं द्वारा भुगतान सीधे स्वीकार किये जायेंगे।
2. देय भुगतान हेतु सामान्यतः समय विस्तरण अनुमन्य नहीं होगा। यदि आवंटी द्वारा प्राधिकरण को देय किश्तों की राशि का भुगतान निर्धारित देय तिथि तक नहीं किया जाता है तो विलम्ब अवधि के लिये समय विस्तरण विशेष परिस्थितियों के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही अधिकतम तीन माह के लिये इस शर्त के साथ अनुमन्य किया जायेगा कि कुल भुगतान योजना के दौरान ऐसे विस्तरण तीन से अधिक नहीं होगे। समय विस्तरण की दशा में 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (जिसका आकंलन छमाही चक्रवृद्वि ब्याज के आधार पर किया जायेगा) की दर से बकाया धनराशि पर देय होगा।
3. आवंटी / पट्टाधारक द्वारा जमा की गयी धनराशि सर्वप्रथम देय ब्याज में समायोजित की जायेगी तदोपरान्त शेष धनराशि देय लीजरेन्ट एवं उसके बाद की किश्तों में समायोजित की जायेगी।

   आवंटी / पट्टाधारक को आवंटन के पश्चात पूर्ण पूर्व भुगतान अनुमन्य होगा। आंशिक भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। पूर्ण भुगतान की स्थिति में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। यदि आवंटी द्वारा एक मुश्त भुगतान का विकल्प ग्रहित किया जाता है तो शेष धनराशि पर ब्याज नहीं लिया जायेगा इसके लिये आवंटी को एक मुश्त भुगतान से पूर्व आवेदन कर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

जी. क्षेत्रफल

- आवंटित फ्लैट का क्षेत्रफल कब्जा दिये जाते समय कुछ भिन्न हो सकता है। ऐसी दशा में फ्लैट का कुल मूल्य उसी अनुपात में परिवर्तित होगा। यदि अन्तर 10 प्रतिशत तक है तब भवन की स्थिति में परिवर्तन या समर्पण की अनुमति नहीं होगी। यदि अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक है तो आवंटी को आवंटन समर्पण करने की छूट होगी तथा ऐसी दशा में जमा की गयी समस्त धनराशि 4 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस कर दी जायेगी।

एच. जैसे है जहां है' के आधार पर :

- क्रेता द्वारा फ्लैट जैसे है जहां है के आधार पर 90 वर्ष के पट्टे पर जिनकी अवधि पट्टा प्रलेख की निर्धारित तिथि से प्रारंभ कर स्वीकार किये जायेगे।

आई.असफल आवेदक

- उन आवेदकों की पंजीयन राशि, जिन्हें फ्लैट आवंटित नहीं हो सके हैं और यदि राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए प्राधिकरण के पास जमा रही है वह राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी यदि जमा राशि की अवधि एक वर्ष से अधिक है तो उस पर 4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से जमा की सम्पूर्ण अवधि के लिए ब्याज दिया जायेगा।

जे. समर्पण :

1 ड्रा / आवंटन से पूर्व समर्पण की स्थिति में जमा सम्पूर्ण पंजीयन राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी।

2 ड्रा / आवंटन के उपरान्त 30 दिन के भीतर आवंटन समर्पण करने पर पंजीयन राशि का 10 प्रतिशत भाग जब्त कर लिया जाएगा और शेष राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी।

3. ड्रा / आवंटन आवंटन के पश्चात 30 दिन के पश्चात् किन्तु 45 दिन के भीतर आवंटन समर्पण करने पर पंजीयन राशि का 50 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण हित में जब्त कर ली जायेगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा पृथक से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

4 ड्रा / आवंटन के पश्चात 45 दिन के बाद परन्तु आवंटन के 6 महीने से पहले समर्पण करता है तो सम्पूर्ण पंजीयन धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा पृथक से सूचित नहीं किया जायेगा।

5. ड्रा/आवंटन से छः माह के बाद आवंटन समर्पण करने की दशा में आवंटी द्वारा जमा की सम्पूर्ण धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर दी जायेगी।

6. यदि आवंटी निर्धारित समय मे देय राशि जमा करने में असफल रहता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार से निरस्त किये गये फ्लैट के लिये निरस्तीकरण की तिथि तक जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

नोट :– यदि आवंटी उपरोक्त समर्पण क्लॉज में दिये गये समय के पश्चात अपना समर्पण प्रत्यावेदन प्राधिकरण में प्रस्तुत करता है तो वह मान्य नही होगा। समर्पण के प्रकरणों में समर्पण की तिथि वह मानी जायेगी जिस दिन समर्पण पत्र प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त होगा। डाक प्रमाण पत्र के आधार पर कोई पूर्ववर्ती दावा स्वीकार नही किया जायेगा। आवंटी को समर्पण पत्र के साथ मूल पंजीयन पावती संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।

के. निरस्तीकरण :

निरस्तीकरण के अन्य उल्लिखित प्रस्तरों के अतिरिक्त, प्राधिकरण/पट्टादाता, अधोलिखित स्थितियों में पट्टा प्रलेख/आवंटन को निरस्त करने हेतु अपने अधिकारों का उपयोग करने में स्वतंत्र होगा।

1. गलत विवरण अथवा वस्तुपरक तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन प्राप्त करने पर।
2. प्राधिकरण अथवा अन्य विधिक निकाय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें अथवा उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन करने पर।
3. आवेदक/आवंटी/पट्टाधारक द्वारा पंजीकरण/आवंटन/पट्टे की नियम व शर्तों के तोड़ने/उल्लंघन करने और/ अथवा आवंटन राशि जमा न करने पर।

उपरोक्त के उप प्रस्तर (1, 2, व 3) के अंतर्गत, निरस्तीकरण की दशा में, निरस्तीकरण की तिथि तक जमा समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी और खण्ड मय ढांचे के, यदि कोई है तो, प्राधिकरण/पट्टादाता द्वारा कब्जे में ले ली जायेगी, और आवंटी/पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा।

एल. पट्टा अवधि एवं पट्टा किराया

➢ फ्लैट का आवंटन प्रत्येक आवंटी को 90 वर्ष के पट्टाधिकारी पर दिया जाएगा और पट्टा किराया कब्जा लेने से पूर्व फ्लैट के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत एकमुश्त देय होगा। यदि आवेदक वार्षिक भू–भाटक देना चाहता है तो उसे कुल फ्लैट के मूल्य का एक प्रतिशत वार्षिक अग्रिम के रूप में पट्टा प्रलेख निष्पादन की तिथि से देय होगा। वार्षिक भू भाटक 10 वर्ष बाद 50 प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा।

एम. पट्टा अनुबंध का निष्पादन

➢ अधिसूचना सं0 3066/11.5.2009–500(100)/2008 दिनांक 12–6–2009 में वर्णित प्राविधान के अंतर्गत आवंटी को आवंटन के छः माह के भीतर पट्टा अनुबंध निष्पादित करा कर सब रजिस्ट्रार गौतम बुद्ध नगर कार्यालय में निबंधित करना होगा अन्यथा लीज़ डीड के निष्पादन के समय उन्हें सर्किल दर पर स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। अधिसूचना की प्रति प्राधिकरण की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

एन. पट्टा दस्तावेज तथा कब्जे का निष्पादन

➢ आवंटित फ्लैट का कब्जा आवंटन–पत्र निर्गत करने के तीन वर्षों के भीतर आवंटी को आफर कर दिया जाना सम्भावित है। आवंटी को कब्जा लेने की सूचना प्रेषित करने के 60 दिन के भीतर कानूनी दस्तावेज/पट्टा प्रलेख (लीज़ डीड का निष्पादन एवं पंजीकरण) निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर आवंटी को 1 प्रतिशत की दर पर प्रशासनिक शुल्क का भुगतान भी करना होगा, जिसमें कानूनी दस्तावेज के निष्पादन के लिए अंकित तिथि से अधिकतम एक वर्ष की समय बढ़ोत्तरी दी जा सकेगी। इस विस्तारित समय के बाद भी यदि आवंटी कानूनी दस्तावेज के निष्पादन में असमर्थ रहता है तो आवंटन निरस्त किये जाने तथा जमा राशि जब्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

नोट :– प्रलेखन के प्रयोजन के लिए पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख कब्जे ग्रहण करने की तिथि के रूप में गिना जायेगा।

ओ. दस्तावेजी प्रभार

➢ कानूनी दस्तावेज तैयार करने, उस पर स्टाम्प डयूटी लगाने तथा उसे पंजीकृत कराने संबंधी समस्त शुल्क और उसकी प्रतियां बनवाने तथा उससे संबंधित समस्त आकस्मिक खर्चों का वहन आवंटी को ही करना होगा। आवंटी को अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, जो इसके लिए अधिकृत किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाई जायेगी अथवा कोई अन्य शुल्क अथवा प्रभार का भुगतान भी करना होगा।

पी. गिरवी रखना :

1. आवंटी/पट्टाधारक, प्राधिकरण/पट्टादाता की पूर्व सहमति लेकर भूखण्ड/फ्लैट की लीज डीड निष्पादन/पंजीकरण के पश्चात किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण आहरण हेतु फ्लैट गिरवी रख सकता है और पट्टादाता द्वारा ऐसी अभिस्वीकृति देते समय लगायी गयी नियम व शर्तें आवंटी को मान्य होंगी व उनका अनुपालन करना होगा। इसके साथ ही रेहन/गिरवी रखी सम्पत्ति के विक्रय अथवा मोचन निषेध होने पर, पट्टादाता को अधिकार होगा कि भूखण्ड/फ्लैट की अनर्जित बढ़ी कीमत का वो प्रतिशत जो पट्टादाता द्वारा निर्धारित की जाती है, को प्रथम धारक के रूप में वसूल लें व अन्य रेहन अधिकारों से प्राथमिक अधिकार होगा। भूखण्ड/फ्लैट के बाजार मूल्य निर्धारण में पट्टादाता का निर्णय अन्तिम होगा व सभी संबंधित पक्ष को बाध्य होगा, इसके साथ ही पट्टादाता को रेहन/गिरवी रखी सम्पत्ति से पूर्व वर्णित अनर्जित बढ़ोत्तरी को उस प्रतिशत को कम कर पूर्वक्रय का अधिकार होगा। पट्टादाता यहां वर्णित अनर्जित बढ़ोत्तरी व सम्पत्ति के पूर्वक्रय का अधिकार अनच्छित विक्रय एवं हस्तांतरण के समय भी बराबर से मान्य होंगे चाहे वह न्यायालय/दिवालियेपन की आज्ञप्ति के अनुपालन के साथ अथवा द्वारा हों।
2. आवंटी को फ्लैट में किसी तकनीकी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

3. परिवर्तन की दशा में खामी होने पर प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। पूर्ण नुकसान की वसूली आवंटी से की जायेगी।

क्यू. फ्लैट का हस्तांतरण :

क्यू–1 कानूनी उत्तराधिकारीः

- अपने (महिला/पुरुष) कानूनी उत्तराधिकारी को बहुमंजिला फ्लैट के हस्तान्तरण की अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर दी जायेगी। ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरण शुल्क देय नहीं होगा ।

क्यू–2 कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त

- कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य को बहुमंजिला फ्लैट के हस्तान्तरण की अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। बहुमंजिला फ्लैट के इस प्रकार के हस्तान्तरण के लिए आवंटी को निर्धारित हस्तान्तरण शुल्क देना होगा तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्धारित सभी कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी अभ्यर्थना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा।

आर. दुरुपयोग, अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन इत्यादि :

- फ्लैट का प्रयोग आवासीय के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। आवंटी को परिसर उपविभाजित करने अथवा किसी अन्य परिसर के साथ मिलाने अथवा उस पर कोई अतिरिक्त ढांचा खड़ा करने अथवा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं होगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और परिसर का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

एस. करों के भुगतान का दायित्व :

- आवंटी/पट्टाधिकारी को भूमि के आवंटन के संबंध में इस आशय के लिए प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लगाये गये प्रत्येक विवरण का कर निर्धारण, करों तथा प्रभारों की सभी दरों का भुगतान स्वयं कराना होगा भले ही वे प्रभार फ्लैट अथवा उस पर निर्मित किसी भवन के संबंध में लगाये गये हों।

टी. भूगर्भ सम्पत्तियों के नियमन हेतु :

- प्राधिकरण का आवंटित आवासीय फ्लैट के अन्तर्गत और उसके बाहर सभी खानों, कोयला, खनिजों, प्रक्षोलन, स्वर्ण, मिट्टी का तेल, खदानों पर अधिकार होगा और इस संबंध में उस समय कोई भी कार्य करने का पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व प्राधिकरण के पास सुरक्षित है और ऐसा कोई ठोस काम करने का भी प्राधिकरण को अधिकार होगा जो इस कार्य हेतु किसी चीज की तलाश करने, उसे प्राप्त करने और वहां से हटाने के लिए वे आवश्यक समझेंगे। आवासीय बहुमंजिला फ्लैट के तल पर किसी वर्टिकल सपोर्ट अथवा उस पर कुछ समय के लिए निर्मित किसी भी बहुमंजिलीय फ्लैट के संबंध में उक्त कार्यवाही करने का उन्हें पूर्ण अधिकार होगा। किन्तु इसके लिए प्राधिकरण इस आशय के अधिकारों का प्रयोग करते समय उससे उत्पन्न सभी प्रकार की क्षतियों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से आवंटी/पट्टाधिकारी को करेगा। समुचित क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा और यह निर्णय आवंटी/पट्टाधिकारी को भी मान्य होगा।

यू. अनुरक्षण

यू.1. पट्टाधारक अथवा आर.डब्ल्यू.ए. समूचे परिसर तथा भवन को हर समय बेहतर हालत में रखेगा और प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुरूप बेहतर सफाई आदि की व्यवस्था करेगा। आवंटी फ्लैट तथा उसके परिवेश एवं सभी उपलब्ध सुविधाओं को साफ–सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।

यू.2. आवंटी को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अनुच्छेद 8, 9, 10 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत सभी विनियमों, उप नियमों, निर्देशों तथा मार्गनिर्देशों का पालन करना होगा। प्राधिकरण की नियम व शर्तों का अनुपालन न होने पर, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियमानुसार जो दण्ड निर्धारित किया जाएगा, वह दण्ड मान्य होगा।

यू.3. पट्टाधारक ऐसे पोस्टरों, संविधि व अन्य वस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा जो नैतिकता के प्रतिकूल अथवा अनैतिक एवं अशिष्ट हो।

यू.4. पट्टादाता द्वारा ऐसी विशिष्ट अनुमोदित स्थलों निर्माण की बाहरी सतह पर कोई विज्ञापन अथवा प्लेकार्ड का प्रदर्शन नहीं करेगा।

यू.5. समुचित अनुरक्षण एवं सुरक्षा हेतु ब्लाक/सेक्टर समूह के आवंटियों को आर.डब्ल्यू.ए. गठित करनी होगी।

वी. अन्य अनुच्छेद

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि उसके द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय–समय पर आवंटन की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन का निर्णय ले सके।
2. इन नियम व शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और आवेदकों के लिए बाध्य होगा।
3. किसी दैवीय आपदा अथवा प्राधिकरण के नियंत्रण के बाहर किसी भी परिस्थिति प्राधिकरण आवंटन देने अथवा आवंटित बहुमंजिलीय फ्लैट पर कब्जा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो सम्पूर्ण पंजीयन राशि अथवा अन्य जमा राशि जो आवंटन की स्थिति पर निर्भर करेगी, 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
4. सभी विवादों का आवंटन/पट्टे के संबंध में किसी भी विवाद के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार सम्बद्ध जिला न्यायालय, जहां सम्पत्ति स्थित है, अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायालय का होगा।

5. यदि मा0 न्यायालय / शासन / प्राधिकरण के आदेशों व अन्य कारणों से किसानों के प्रतिकर / मुआवजे / एक्सग्रेसिया में वृद्धि अथवा भुगतान किया जाता है तो उस दशा में बढी हुई धनराशि की प्रतिपूर्ती आवंटी / पट्टादाता से की जायेगी।
6. आवंटी पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम सन् 1976 (यू.पी. एक्ट नं. 6, 1976) के प्राविधान तथा उसके तहत गठित नियम / विनियम लागू माने जायेंगे।
7. फ्लैट का स्वामित्व पति / पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से भी अनुमन्य है।
8. प्राधिकरण को अदेय सभी धनराशि, एरिया ऑफ लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूल की जायेगी।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें :-
मैनेजर
(प्रॉपर्टी -बी.एच.एस. 06 / 2015 समाजवादी आवास योजना)
फोन नं 0120-2395201, फैक्स नं. 0120-2395150

'अन्डरटेकिंग' पेज 09 पर उपलब्ध है।

Undertaking - I

अन्डरटेकिंग–1

मैं .... पुत्र श्री .... ग्राम ....का निवासी हूं तथा ग्राम .... के खाता संख्या ....खसरा संख्या .... में मेरा ....भाग क्षेत्रफल .... था जिसका अर्जन सुनियोजित विकास हेतु यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या .... खसरा संख्या .... क्षेत्रफल .... स्थित ग्राम ....की भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (1)/17 की अधिसूचना दिनांक .... को धारा 6/17 की अधिसूचना दिनांक .... को जारी होकर कब्जा दिनांक .... को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित हुआ है।

यह कि मेरे द्वारा अधिग्रहित भूमि का समस्त प्रतिकर बिना किसी आपत्ति के करार/सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया गया है। यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण के साथ अथवा सह खातेदारों के साथ कोई विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

- **प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड/जानकारी में सच व सही है।**

Undertaking - 2

अन्डरटेकिंग–2

मैं .... पुत्र श्री .... निवासी ग्राम .... के खाता संख्या .... खसरा संख्या .... क्षेत्रफल .... स्थित ग्राम .... का स्वामी हूँ।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या .... खसरा संख्या .... क्षेत्रफल .... स्थित ग्राम ....का अधिग्रहण (धारा 4/17, 6/17) दिनांक .... को प्राधिकरण के लिए किया जा चुका है।

यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्राधिकरण का कोई विकास कार्य बाधित नहीं किया जा रहा है और न ही किसी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन : अभियंत्रण विभाग

- **प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड/जानकारी में सच व सही है।**

TYPICAL FLOOR PLAN
AFFORDABLE HOUSING IN SECTOR-22, YEA

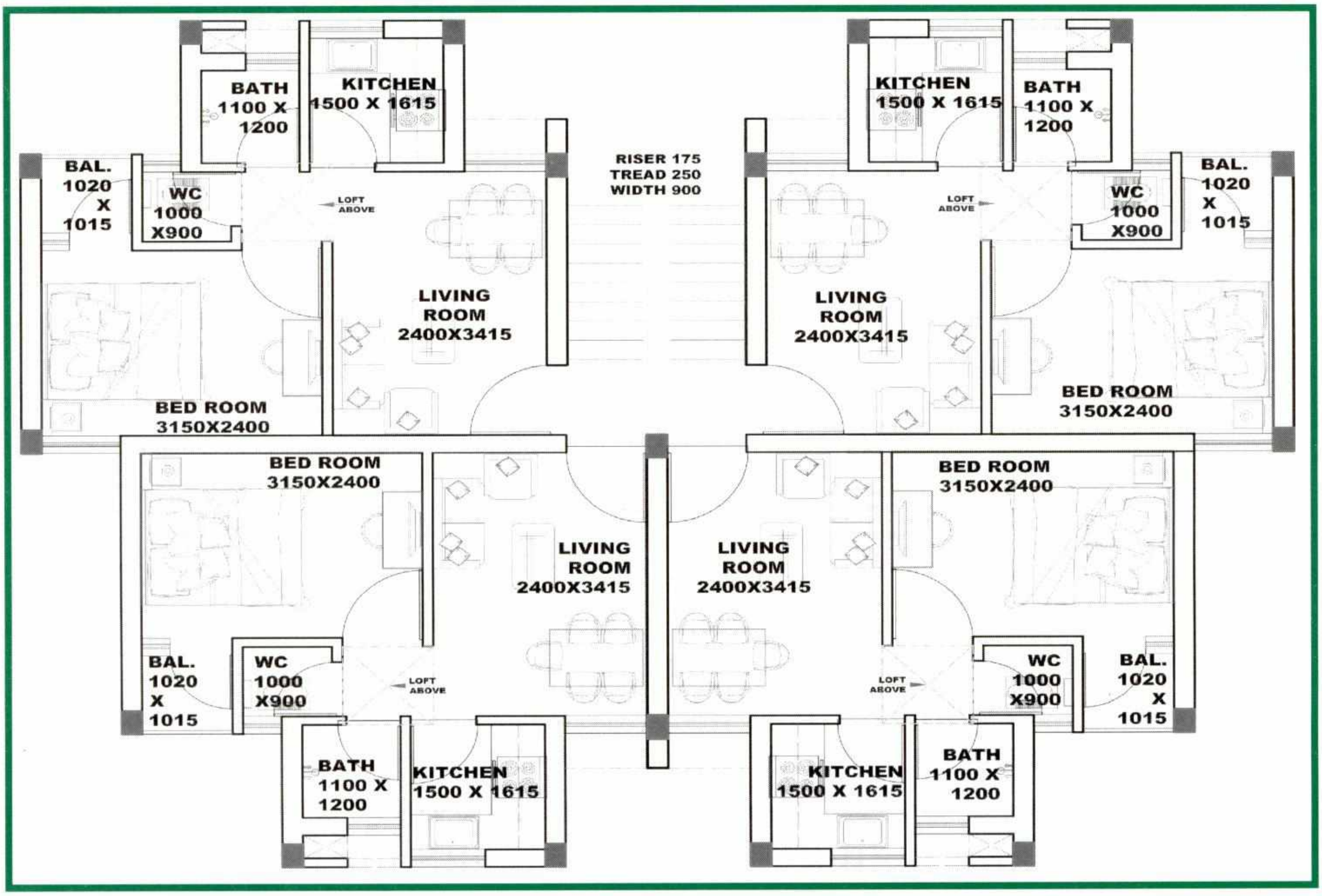

GROUND FLOOR PLAN
AFFORDABLE HOUSING IN SECTOR-22, YEA

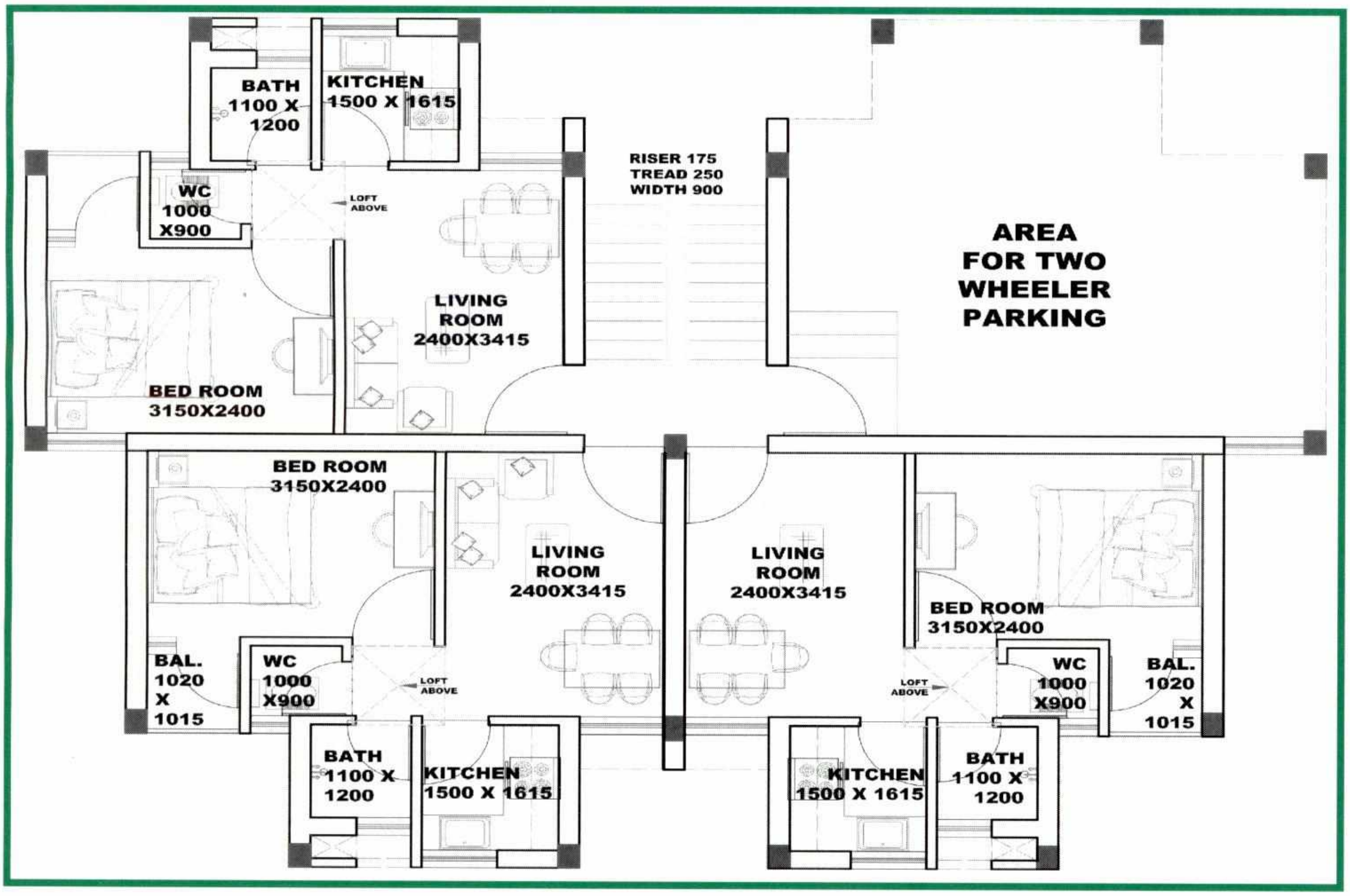

Specifications features for affordable House

The works shall be executed as per CPWD/MOST specification. Mainly the following specifications are proposed.

1.	Base Concrete	1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 stone ballast)
2	Brick work in foundation & plinth	1:6 (1 cement : 6 coarse sand)
3	Floor to Floor Height	2.90M
4	Brick work in superstructure	1:6 (1 cement : 6 coarse sand)
5	Half brick thick wall	1:4 (1 cement : 4 coarse sand)
6	lintel, beam & slab	R.C.C. as per design
7	Plaster	1:6 (1 cement : 6 coarse sand)
8	Flooring (Rooms)	Vitrified Tiles
9	Toilet/Kitchen Flooring	Ceramic glazed Tile
10	Common Area & Staircase	Kota Stone
11	Roof Treatment	Brick coba
12	Door/Windows frame	M.S. iron section.
13	Railing stair cases	M.S. railing as per design.
14	Door Shutter	30mm thick flush door shutters (only outer 2 doors)
15	Windows Shutter	M.S. Section
16	Fittings	M.S. oxidized iron fitting
17	Interior finishing	White wash on walls, enamel paint on door /window
18	Exterior Finishing	Grit wash
19	Water Supply	G.I. Pipe/CPVC
20	Sanitary pipe	CI/PVC
21	W.C. Seat	Orissa pattern W.C. pan
22	Rain Water pipe	PVC pipe
23	Parapet Wall	Brick work
24	Electrification	PVC conduit, M.S. Junction boxes fan Box & Wiring etc.

Salient Features

- Ample green surroundings with landscape.
- Heat reflective Roof paint for reflecting the solar radiation back to the atmosphere.
- Rainwater harvesting system.
- Installation of low flow water fixture
- Sewage treatment plant.
- Use of good quality single glazing unit glass having better thermal property
- Smoking Free Common Area
- Designed the dwelling units to achieve maximum day light.

Yamuna Expressway Industrial Development Authority

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

1st Floor, Commercial Complex, P-2, Sector Omega -1, Greater Noida City- 201308, Gautam Budh Nagar (U.P.)

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी–2, सेक्टर ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा सिटी–201308, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF MULTISTOREY FLATS IN SECTOR-22

सेक्टर – 22 में बहुमंजिला फ्लैटों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

(APPLICATION FORM TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS, INCOMPLETE AND INCORRECT APPLICATION WILL BE SUMMARILY REJECTED. NO CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED IN THIS REGARD)

आवेदन – पत्र बड़े अक्षरों में भरें। अपूर्ण और अशुद्ध आवेदनों को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जायेगा। इस बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

For General & Prescribed Reserved Categories

सामान्य एवं विहित आरक्षित श्रेणी।

Affix passport size photograph attested by Bank/ Gazatted Officer

आवेदक की बैंक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें।

Form Serial No. / पत्र क्रमांक संख्या: 10323

Scheme Code : / योजना कोड: BHS - 06/2015

Bank Code / बैंक कोड: ______

Date of Birth / जन्म तिथि: D D (तिथि) M M (माह) Y Y Y Y (वर्ष)

(i) Name of the Applicant: / आवेदक का नाम: ______

(Any future correspondence or refunding shall be made in the name of the applicant only) (भविष्य में पत्र व्यवहार या पंजीकरण राशि की अदायगी केवल आवेदक के नाम में की जायेगी)

आवेदित श्रेणी/ Category applied for ______ (Pl. refer note of Clause B of the Brochure) (कृपया ब्रोशर के नियम संख्या बी के नोट का संदर्भ लें)

Father's / Husband's Name / पिता / पति का नाम: ______

(i) Mailing Address: / डाक का पता: ______

Pin Code / पिन कोड: ______

Phone No. (if any) / दूरभाष सं0 (यदि कोई हो): ______ (iii) Email / ईमेल: ______

(i) Permanent Address: / स्थाई पता: ______

Pin Code / पिन कोड: ______

(ii) Phone No. (if any) / दूरभाष सं0 (यदि कोई हो): ______ (iii) Email / ईमेल: ______

(i) Marital / वैवाहिक स्थिति: ______ (ii) Sex / लिंग: ______ (iii) Age / उम्र: ______

Types of Flat / फ्लैट की श्रेणियाँ: 01 | 29.76 sqm | ______

(Kindly ✔ the type of flat which you are applying) (कृपया ✔ का निशान आवेदित फ्लैट की श्रेणी पर लगाएं।)

Details of Remittance / भुगतान का ब्यौरा :

By Draft / Pay Order ड्राफ्ट / पे–आर्डर द्वारा रू0 ______

Number / संख्या ______ Dated / दिनांक ______

Drawn on / पारित किया गया ______

Details for Refund Cheque to be sent to Unsuccessful Applicant:

(असफल आवेदक रिफण्ड चेक के भुगतान के लिए विवरण)

Name of Bank and Branch / बैंक का नाम एवं शाखा : ______

Bank Account No / बैंक खाता संख्या: ______

For Institutional Unit its Sole Proprietor/ Partner/ Managing Director / Whole Time Director/ Trustee

यदि आवेदक इकाई संस्थान का एकल स्वामी/साझेदारी/प्रबन्ध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक/ट्रस्टी है।

Allotment No. अलॉटमेन्ट संख्या. ______ Plot No. प्लाट नं0 ______ Sector सेक्टर ______

Name of the Institutional Unit & its location/ संस्था का नाम एवं पूरा पता। ______

______

______

वैवाहिक स्थिति | लिंग | उम्र

7. Types of Flat | 01 | 29.76 sqm
फ्लैट की श्रेणियाँ

(Kindly ✔ the type of flat which you are applying) (कृपया ✔ का निशान आवेदित फ्लैट की श्रेणी पर लगाए।)

8. Details of Remittance
भुगतान का ब्यौरा :

By Draft / Pay Order ड्राफ्ट / पे–आर्डर द्वारा रू0 ____

Number / संख्या ____ Dated / दिनांक ____

Drawn on / पारित किया गया ____

9. Details for Refund Cheque to be sent to Unsuccessful Applicant:
(असफल आवेदक रिफण्ड चेक के भुगतान के लिए विवरण)

Name of Bank and Branch / बैंक का नाम एवं शाखा : ____

Bank Account No / बैंक खाता संख्या: ____

10. For Institutional Unit its Sole Proprietor/ Partner/ Managing Director / Whole Time Director/ Trustee
यदि आवेदक इकाई संस्थान का एकल स्वामी/साझेदारी/प्रबन्ध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक/ट्रस्टी है।

(i) Allotment No. अलॉटमेन्ट संख्या. ____ Plot No. प्लाट नं0 ____ Sector सेक्टर ____

(ii) Name of the Institutional Unit & its location/ संस्था का नाम एवं पूरा पता।

____

(iii) Constitution of Unit/Establishment/Institution/ इकाई/प्रतिष्ठान/संस्था का गठन एवं प्रकार।

____

(iv) Functional Date of Institution / संस्थान इकाई क्रियाशील होने की तिथि : __/__/____
(कृपया क्रियाशील प्रमाण पत्र की प्रति लगाए।)

____

(Kindly see overleaf/कृपया पीछे देखें।)

Scheme Code : योजना कोड **BHS - 06/2015**

Yamuna Expressway Industrial Development Authority
"Registration of MultiStorey Flats"
"BHS- 06/2015"

Form Serial No. प्रपत्र क्रमांक संख्या **10323**

Date तिथि [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
D D M M Y Y Y Y
तिथि माह वर्ष

Bank Code. बैंक कोड [ ][ ]

Received a sum of Rs.................................(Rupees) from (Name of the Applicant)...............
. ... on behalf of "Yamuna Expressway Industrial Developm
Authority" By Demand Draft/Pay Order No.......................Dated........................ Drawn on..........................
Payable at...

Date of Receipt पाने की तिथि

Receipt Bank Copy (बैंक की प्रति)

Seal & Signature of Bank बैंक की सील एवं हस्ता

Scheme Code : योजना कोड **BHS - 06/2015**

Yamuna Expressway Industrial Development Authority
"Registration for MultiStorey Flats"
"BHS- 06/2015"

Form Serial No. प्रपत्र क्रमांक संख्या **10323**

Date तिथि [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
D D M M Y Y Y Y
तिथि माह वर्ष

Bank Code. बैंक कोड [ ][ ]

Received a sum of Rs.................................(Rupees) from (Name of the Applicant)...............
. ... on behalf of "Yamuna Expressway Industrial Developm
Authority" By Demand Draft/Pay Order No.......................Dated........................ Drawn on..........................
Payable at...

Date of Receipt पाने की तिथि

Receipt Applicant Copy (आवेदक की प्रति)

Seal & Signature of Bank बैंक की सील एवं हस्ता

MASTER PLAN FOR YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA (PHASE - I) - 2021

(For Notified Area of GautamBudh Nagar & Bulandshahr District)

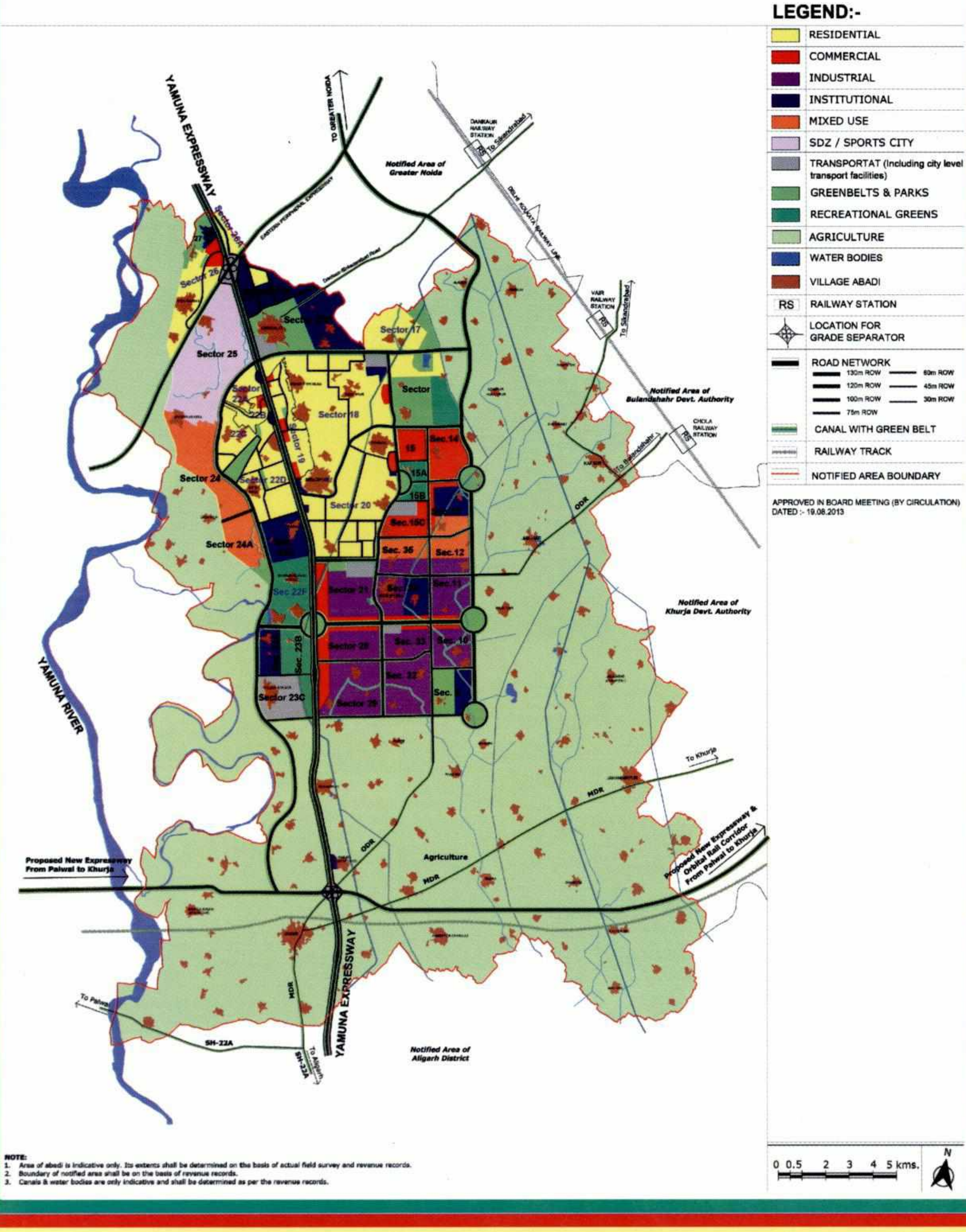

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी–2 सैक्टर ओमेगा–1, ग्रेटर नोएडा 201 308, जनपद–गौतमबुद्ध नगर

दूरभाष: 0120–2395153, फैक्स: 0120–2395150, वेबसाईट: www.yamunaexpresswayauthority.com

₹ 550/-
(कर सहित)